

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज०

पीठासीन अधिकारी : श्री घनश्याम शर्मा , अर०ए०एस०

राजस्व वाद संख्या : 135/2012

वादी :-

बनाम

प्रतिवादीगण :-

1. पारसमल पुत्र ढगलाराम
जाति-सरगारा, निवासी-लौटोली
तहसील-जैतारण, जिला-पाली

1. मदनलाल पुत्र ढगलाराम
2. चन्द्राराम पुत्र ढगलाराम
3. ओमप्रकाश पुत्र ढगलाराम
4. प्रहलाद पुत्र ढगलाराम
5. विनोद पुत्र ढगलाराम
6. सुरजीदेवी पत्नि स्व. राजू
7. ममता पुत्री राजू
8. आरती पुत्री राजू
9. लक्ष्मी पुत्री राजू
10. लीला पुत्री राजू
11. पिन्डी पुत्री राजू
12. टीना पुत्री राजू
13. गणकी पुत्री राजू

प्रतिवादी संख्या 7 से 13

नाबालिग जरिये कुदरती वलिया

माता सुरजीदेवी पत्नि स्व. राजू

14. गंगा बेवा मांगीया
15. कालुराम पुत्र मीठलाल
16. दिनेश पुत्र मीठलाल
17. हरीश पुत्र मीठलाल
18. घनश्याम पुत्र मीठलाल
19. भरत पुत्र मीठलाल
20. दुगदिवी पत्नि मीठलाल
प्रतिवादी संख्या 16 से 19 तक
नाबालिग जरिये कुदरती वलिया
माता दुगदिवी पत्नि मीठलाल
21. तुलछीदेवी पत्नि ढगलाराम
22. कमला पुत्री ढगलाराम
23. नर्मदा पुत्री ढगलाराम
24. मोकलीदेवी पुत्र ढगलाराम
जातियाज-सरगारा, निवासी-लौटोती
तह-जैतारण, जिला-पाली (राज.)
25. तहसीलदार, जैतारण
तह.-जैतारण, जिला-पाली

राजस्व वाद बाबत बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 एवं 92ए
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 तारीख रजू.:27.07.2012

परिचित:- 1. श्री रामस्वरूप चौधरी, अधिवक्ता, वादी।

2. श्री देवाराम कटारिया, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण।

-:: निर्णय ::-

दिनांक:- 28/06/2016

वकील मय वादी ने एक राजस्व वाद बाबत बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 एवं 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत इस आशय का पेश किया कि राजस्व मौजा-लौटोती, पटवार हल्का-लौटोती, तहसील-जैतारण, जिला-पाली (राजस्थान) में खसरा नम्बर 220 रकबा 3 बीघा 02 बिस्वा, खसरा नम्बर 226 रकबा 3 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नम्बर 604 रकबा 6

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

बीघा 07 बिस्वा, खसरा नम्बर 757 रकबा 5-00 बीघा, खसरा नम्बर 812 रकबा 5 बीघा 16 बिस्वा, कुल किता-5 कुल रकबा 24-01 बीघा की आई हुई हैं। उक्त भूमि राजस्व रेकॉर्ड में शामिल नहीं है। नकल जमाबन्दी वाद के साथ पेश की गई है। उक्त वर्णित आराजी शामिल हैं तथा सभी खातेदार उक्त आराजी का शामिल उपयोग व उपभोग करते चले आ रहे हैं। परन्तु उक्त आराजी का कानूनन बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के बंटवाड़ा नहीं हो रखा है तथा मौके पर भी पत्थरगढ़ी आदि नहीं हो सकी हैं। उक्त आराजी शामिल होने से वादी को अनेकों प्रकार की कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। जिससे वादी अपनी आराजी को उपजाऊ नहीं बना सकता है तथा उसमें कुआ, खुदवाने, बिजली कनेक्शन लेने व बैंक से ऋण लेने में भी दिशानी का सामना करना पड़ता है। इसलिए वादी का यह वाद बंटवाड़े का विरुद्ध प्रतिवादीगण के पेश किया है। उक्त आराजी शामिल होने से कानूनन बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के बंटवाड़ा नहीं होने के बावजूद भी प्रतिवादीगण उक्त आराजी को किसी अन्य को रहन बेचान बख्शीश व हस्तान्तरण करने पर उतारू हैं। यदि प्रतिवादीगण अपने नापाक ईरादों में सफल हो जाते हैं तो वादी को असीम क्षति होगी तथा अपने जायज हक व अधिकारों से वंचित हो जायेगा तथा मौके पर भी अनेकों प्रकार के विवाद बढ़ेंगे। मल्टीप्लीसिटी ऑफ प्रोसिडिंग्स बढ़ेगी तथा मौके पर लड़ाई झगड़े होने से वादी को असीम क्षति कारित होगी। वादी के पास अन्य कोई विकल्प शेष नहीं रहने से यह वाद बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा का विरुद्ध प्रतिवादीगण के पेश किया है। वादी दिनांक 25/07/2012 को प्रतिवादीगण को उक्त शामिल आराजी का बंटवाड़ा करने का कहने पर प्रतिवादीगण द्वारा ईन्कार होने तथा वादी को ऐलानिया धमकी दी व उक्त आराजी को हक अन्यत्र बेचान करेगें तथा तुम्हे मौके से बेदखल कर कब्जा भी किसी अन्य को करवा देंगे। यदि प्रतिवादीगण अपने नापाक ईरादों में सफल हो जाते हैं तो वादी को अपने साम्पैतिक अधिकारों से वंचित होना पड़ेगा तथा वादी को असीम क्षति होगी, जिसकी क्षतिपूर्ति किसी कदर संभव नहीं होगी। इसलिए यह वाद बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा का विरुद्ध प्रतिवादीगण को पेश किया है। प्रतिवादी संख्या 25 तहसीलदार, जैतारण भूमिधारी राजस्थान सरकार होने से बंटवाड़ा के वाद में आवश्यक पक्षकार हैं। इसलिए उन्हें पक्षकार बनाया गया है। जबकि उनके विरुद्ध कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है। बिनायवाद दिनांक 25/07/2012 को प्रतिवादीगण द्वारा कानूनन बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के बंटवाड़ा करने से ईन्कार होने एवं वादी को मौके से बेदखल करने की धमकी देने से बमुकाम-लौटोती, तहसील-जैतारण में पैदा हुआ, जो श्रीमान् के श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार में है व वाद अन्दर म्याद पेश किया है। इस प्रकार माफिक दावा वादी ने वाद डिक्री किया जाकर वादी की भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा किये जाने की ईशतदुआ की है। इस पर राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण जरिए सम्मनस वास्ते जबाबदावा तलब किया गया।

पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र - लौटोती में पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। राजस्व मौजा-लौटोती, पटवार हल्का-लौटोती, तहसील-जैतारण, जिला-पाली (राजस्थान) में खसरा नम्बर 220 रकबा 3 बीघा 02 बिस्वा, खसरा नम्बर 226 रकबा 3 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नम्बर 604 रकबा 6 बीघा 07 बिस्वा, खसरा नम्बर 757 रकबा 5-00 बीघा, खसरा नम्बर 812 रकबा 5 बीघा 16 बिस्वा, कुल किता-5 कुल रकबा 24-01 बीघा भूमि स्थित है। जिसमें वादी तथा प्रतिवादीगण का माफिक राजस्व रिपोर्ट हिरसा आता है। इसी अनुसार मौके पर काबिज हैं तथा इसी अनुसार बंटवाड़ा कराने पर सहमत हैं। तहसीलदार, जैतारण ने बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा रिपोर्ट / विभाजन प्रस्ताव मय रुबरु उभय पक्षों व मौतबिरानों के तैयार करवाकर फर्द मौका मय नजरी नक्शा आज दिनांक 28/06/2016 को ही पेश किया, सामिल मिसल किया गया। उभय पक्षकारानों मय वकुलाय को सुना गया। वस्तुतः माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट / विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा वादी का वाद डिक्री किया जाना तथा पक्षकारों में विवादित आराजी की भूमि का बंटवाड़ा किया जाना उचित समझते हैं।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

-: आदेश :-

अतः माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अंतिम डिग्री बहक वादीगण विख्यात प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि राजस्व लीला-लौटोती, पटवार हल्का-लौटोती, तहसील-जैतारण, जिला-पाली (राजस्थान) में खसरा नम्बर 220 रकबा 3 बीघा 02 बिस्वा, खसरा नम्बर 604 रकबा 6 बीघा 07 बिस्वा, खसरा नम्बर 226 रकबा 3 बीघा 5-00 बीघा, खसरा नम्बर 812 रकबा 5 बीघा 16 बिस्वा, कुल किता-5 कुल रकबा 24-01 बीघा का विम्बांकित रूप से बंटवाड़ा किया जाता है :-

क्र. सं.	नाम खातेदार मय बलिद्यत व सञ्चयत	खसरा नम्बर	रकबा बीघा बिस्वा बिस्वांसी	किस्म	लगान
1	सुरजीदेवी पत्नि स्व. राजू, ममता आरती लक्ष्मी लीला पिन्टी टीना गणकी पुत्रियाँ राजू, लक्ष्मी लीला पिन्टी टीना गणकी जा०बा की कुदरती वलिया माता सुरजीदेवी पत्नि स्व. राजू, गंगा पत्नि मंगू कौम-सरगरा सा० देह खातेदार।	220	1-11-00	बा०दो०	7.45 रु०
		226	1-18-00	बा०दो०	
		604	3-03-00	बा०अ०	
		757	2-10-00	बा.अली.	
		812	2-18-00	बा.अली.	
योग		5	12-00-00		7.45 रु०
2	पारसमल पुत्र ङालाराम कौम-सरगरा सा० देह खातेदार।	220/1	0-03-00	बा०दो०	0.68 रु०
		226/1	0-04-00	बा०दो०	
		604/1	0-06-00	बा०अ०	
		757/1	0-04-00	बा.अली.	
		812/1	0-05-00	बा.अली.	
योग		5	1-02-00		0.68 रु०
3	घन्दाराम पुत्र ङालाराम 1/10, मदनलाल पुत्र ङालाराम 1/10, ओमप्रकाश पुत्र ङलगाराम 1/10, प्रहलाद पुत्र ङालाराम 1/10, विनोद पुत्र ङालाराम 1/10, कालुराम दिनेश हरीश घनश्याम भरत पि० मीखलाल, दुगदिवी पत्नि मीखलाल, दिनेश हरीश घनश्याम भरत ना.बा. की जरिये कुदरती वलिया माता दुगदिवी पत्नि मीखलाल 1/10, तुलसीदेवी पत्नि ङालाराम 1/10, कमला नर्मदा मोकलीदेवी पुत्रियाँ ङालाराम 3/10 कौम-सरगरा सा० देह खातेदार।	220/2	1-08-00	बा०दो०	6.81 रु०
		226/2	1-14-00	बा०दो०	
		604/2	2-18-00	बा०अ०	
		757/2	2-06-00	बा.अली.	
		812/2	2-13-00	बा.अली.	
योग		5	10-19-00		6.81 रु०

तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। बंटवाड़ा रिपोर्ट / विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावें। वादी के कब्जे काश्त में दखलब्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता है। डिग्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावें। तहसीलदार जैतारण को डिग्री पर्चा एवं विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा की प्रति भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैंसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर लेख्य भण्डार जमा हो।



निर्णय आज दिनांक 28/06/2016 को राजस्व लोक अदालत आयोजित अटल बन्द-लौटोती पर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
 जैतारण (पाली)
 जिला-पाली (राज०)

उपखण्ड अधिकारी
 जैतारण (पाली)
 जिला-पाली (राज०)

डिफ़्टी बमुकदमें इषतदाई

(ओ 21 रूल 6,7 जाबता दीवानी)

अदालत :- उपखण्ड अधिकारी, मुकाम:- जैतारण

जलास :- श्री घनश्याम शर्मा , आर0ए0एस0

दी :-

बनाम

प्रतिवादीगण :-

पारसमल पुत्र ढगलाराम
ति-सरगरा, निवासी-लौटोली
सील-जैतारण, जिला-पाली

1. मदनलाल पुत्र ढगलाराम
 2. चन्द्राराम पुत्र ढगलाराम
 3. ओमप्रकाश पुत्र ढगलाराम
 4. प्रहलाद पुत्र ढगलाराम
 5. विनोद पुत्र ढगलाराम
 6. सुरजीदेवी पत्नि स्व. राजू
 7. ममता पुत्री राजू
 8. आरती पुत्री राजू
 9. लक्ष्मी पुत्री राजू
 10. लीला पुत्री राजू
 11. पिन्डी पुत्री राजू
 12. टीना पुत्री राजू
 13. गणकी पुत्री राजू
- प्रतिवादी संख्या 7 से 13
नाबालिग जरिये कुदरती वलिया
माता सुरजीदेवी पत्नि स्व. राजू
14. गंगा बेवा मांगीया
 15. कालुराम पुत्र मीठलाल
 16. दिनेश पुत्र मीठलाल
 17. हरीश पुत्र मीठलाल
 18. घनश्याम पुत्र मीठलाल
 19. भरत पुत्र मीठलाल
 20. दुगदिवी पत्नि मीठलाल
- प्रतिवादी संख्या 16 से 19 तक
नाबालिग जरिये कुदरती वलिया
माता दुगदिवी पत्नि मीठलाल
21. तुलछीदेवी पत्नि ढगलाराम
 22. कमला पुत्री ढगलाराम
 23. नर्मदा पुत्री ढगलाराम
 24. मोकलीदेवी पुत्र ढगलाराम
जातियान-सरगरा,निवासी-लौटोली
तह-जैतारण, जिला-पाली (राज.)
 25. तहसीलदार, जैतारण
तह.-जैतारण,जिला-पाली

राजस्व वाद बाबत बंटवाड़ा एवं स्थाई

निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53,92ए

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू-..... व हाजरी श्री रामस्वरूप चौधरी, अधिवक्ता, वादी मिनजानिब मुद्धई व श्री देवाराम कटारिया, अधिवक्ता; प्रतिवादीगण मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अंतिम डिफ़्टी बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती है कि राजस्व मौजा-लौटोली, पटवार हल्का-लौटोली, तहसील-जैतारण, जिला-पाली (राजस्थान) में खसरा नम्बर 220 रकबा 3 बीघा 02 बिस्वा, खसरा नम्बर 226 रकबा 3 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नम्बर 604 रकबा 6 बीघा 07 बिस्वा, खसरा नम्बर 757 रकबा 5-00 बीघा, खसरा नम्बर 812 रकबा 5 बीघा 16 बिस्वा, कुल किता-5 कुल रकबा 24-01 बीघा का निम्नांकित रूप से बंटवाड़ा किया जाता है :-

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्लियत व सकूनत	खसरा नम्बर	रकबा बीघा बिरया बिरयांसी	किरम	लगान
1	सुरजीदेवी पत्नि स्व. राजू, ममता	220	1-11-00	बा0दो0	7.45 रु0
	आरती लक्ष्मी लीला पिन्टी टीना	226	1-18-00	बा0दो0	
	गणकी पुत्रियाँ राजू, लक्ष्मी लीला	604	3-03-00	बा0अ0	
	पिन्टी टीना गणकी ना0बा की कुदरती	757	2-10-00	बा.अली.	
	वल्लिया माता सुरजीदेवी पत्नि स्व. राजू, गंगा पत्नि मांगू कौम-सरगरा सा0 देह खातेदार।	812	2-18-00	बा.अली.	
योग		5	12-00-00		7.45 रु0
2	पारसमल पुत्र ढगलाराम कौम-सरगरा सा0 देह खातेदार।	220/1	0-03-00	बा0दो0	0.68 रु0
		226/1	0-04-00	बा0दो0	
		604/1	0-06-00	बा0अ0	
		757/1	0-04-00	बा.अली.	
		812/1	0-05-00	बा.अली.	
योग		5	1-02-00		0.68 रु0
3	चन्द्राराम पुत्र ढगलाराम 1/10, मदनलाल पुत्र ढगलाराम 1/10, ओमप्रकाश पुत्र ढगलाराम 1/10, प्रहलाद पुत्र ढगलाराम 1/10, विनोद पुत्र ढगलाराम 1/10, कालुराम दिनेश हरीश घनश्याम भरत पि0 मीठालाल, दुगदिवी पत्नि मीठालाल, दिनेश हरीश घनश्याम भरत ना.बा. की जरिये कुदरती वल्लिया माता दुगदिवी पत्नि मीठालाल 1/10, तुलछीदेवी पत्नि ढगलाराम 1/10, कमला नर्मदा मोकलीदेवी पुत्रियाँ ढगलाराम 3/10 कौम-सरगरा सा0 देह खातेदार।	220/2	1-08-00	बा0दो0	6.81 रु0
		226/2	1-14-00	बा0दो0	
		604/2	2-18-00	बा0अ0	
		757/2	2-06-00	बा.अली.	
		812/2	2-13-00	बा.अली.	
योग		5	10-19-00		6.81 रु0

तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। बंटवाड़ा रिपोर्ट / विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावें। वादीगण के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता है। तहसीलदार जैतारण को डिक्री पर्चा एवं विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा की प्रति भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाबता दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

नीजमुबलिक.....-.....बाबत.....-.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहरफीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तकको अदा करें। बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 28/06/2016 को

किया गया ।



उपखण्ड अधिकारी
(नजरी जैतारण)

	रुपये	पैसे	मुद्दायलाह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	02	- 50	स्टाम्प वकालतनामा	01	- 00
स्टाम्प वकालतनामा	01	- 00	स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत	01	- 00	महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	07	- 00	फीस कमीशनर		
फीस कमीशनर			बाबत ईजराय हुक्मनामा		
बाबत ईजराय हुक्मनामा			मुत्फरिक		
मिजान:-	11	- 50	मिजान:-	01	- 00

नोट:- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।